फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

जरनैलसिंह आदि बनाम सरकार व अन्य

किस्म मुकदमा:–रास्ता निरस्ती प्रकरण संख्या:–148/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/2/2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई। बहस 151 प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र रास्ता निरस्त करवाने हेतू प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 17/01/2018 को रणजीतसिंह की और से सुभाष बिश्नोई वकील उपस्थित होकर बहस 151 प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। वकील अप्रार्थी सं. 4 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की चक 15 एस जी आर तहसील सूरतगढ़ के प0 न0 44/297 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता को निरस्त करने हेतू निवेदन किया है जो कि श्रीमान जी की अदालत को रास्ता निरस्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी कानून की धाराओं को अंकित किये बिना प्रस्तुत किया है। उक्त रकबा भाखड़ा क्षैत्र का है जहां उपनिवेशन अधिनियम लागू होता है उपनिवेशन अधिनियम के नियम 8 (2) में रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान है निरस्त करने का नही है। रास्ता सार्वजनिक होता है। इसलिए निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र रास्ता निरस्त को इसी स्तर पर खारीज किया जावे। वकील प्रार्थी अजय कुमार अरोड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सी पी सी का एतराज किया गया कि रास्ता निरस्ती के प्रार्थना पत्र में धाराओं का लिखना कोई प्रोविजन नहीं है वैकल्पिक रास्ता है तो इस रास्ता को निरस्त किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भी वैकल्पिक रूप में रास्ता है व उक्त रास्ता बन्द पड़ा इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारीज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन कर बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र रास्ता निरस्ती का पेश किया गया था जिसमें केवल राजस्थान सरकार व दो अन्य व्यक्तियों को पक्षकार बनाया लेकिन बाद में अन्य काश्तकारों के ध्यान में आने पर उनके द्वारा भी उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र पेश किये गये जिन्हे बतौर अप्रार्थी सं. 4 ता 7 पक्षकार बनाया गया जिन्होनें भी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जहां तक 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में उक्त जैरवाद रास्ता भाखड़ा क्षैत्र का है जो कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत अनुसरण होता है रास्ता सार्वजनिक है एक काश्तकार की आपत्ति से सम्पूर्ण रास्ता निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायहित में 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता निरस्ती का उक्त प्रकरण इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 04/02/2020. को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:54:14 IST
Reason: SelfAttested